हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चतुर्थ सत्र

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018/23 मार्गशीर्ष,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति के **259वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 92वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **191वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 324वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **173वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 238वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **124वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना अष्टम् कार्रवाइ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19),
समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.11 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19),
समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) श्री बिक्रम सिंह जरयाल,सभापति,ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19),
समिति का **9वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री राकेश जम्वाल**, "**प्रदेश के सात प्रदूषित शहरों में सुन्दरनगर के शामिल होने**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री राकेश सिंघा**
श्री आशीष बुटेल

दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "**वन अधिकार कानून के लिए गरजे किसान**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **कृषि मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. <u>सरकारी संकल्प:</u>

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि सशस्त्र बलों में हिमाचल का राज्य कोटा बढ़ाया जाये और एक नई हिमालयन रेजीमेंट का गठन किया जाये ।"

5. <u>विधायी कार्य :</u>

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 61) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 12)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर,मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 13)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14)	हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11)	राज्य में गायों के परिरक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री सुख राम (58-पांवटा साहिब),** पांवटा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुरा से मनौर सम्पर्क मार्ग की दयनीय हालत को सुधारने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री सुरेश कुमार कश्यप (55-पच्छाद),** छैला-नेरीपुल-ओच्छघाट सड़क की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर),** वर्षा के कारण पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाला के अधीन ब्लॉक भवारना को जोड़ने वाले तीन पदपाथ पुलों का जनहित में पुनर्निर्माण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री सुरेश कुमार कश्यप (55-पच्छाद),** पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सरांहा से चण्डीगढ़ सड़क की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री सुख राम (58-पांवटा साहिब),** पांवटा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उठाऊ सिंचाई योजना किल्लोड़ व नवादा के सुचारू रूप से न चलने के कारण किसानों को हो रही कठिनाईयों बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री मुकेश अग्निहोत्री, "केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम **सतलुज जल विद्युत निगम** का **नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** में विलय न करने बारे चर्चा उठायेंगे ।"

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री सुरेश कुमार कश्यप
श्री सुख राम } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे जनमंच कार्यक्रम की रूपरेखा पर यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 13 दिसम्बर, 2018 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)